अंतिम प्रारूप

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना

कार्यकारी सार

(पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन ढाँचा)

बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (बी0 आर0 आर0 डी0 ए0)

बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी

BRRDA

कार्यकारी सार

1. पृष्ठभूमिः–

बिहार सरकार एक सर्वांगीण समाजिक और राज्य के आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण समुदाय के लिए एक कुशल एवं उच्च गुणवत्ता सड़क नेटवर्क की इस दिशा में अहम भूमिका है। इस दिशा में ग्रामीण सड़क विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम महशूश किया गया।

राज्य के किसी भी कोने से अधिकतम पाँच घंटे में राजधानी पटना पहुँचने के राज्य सरकार के सपनों को साकार करने के लिए 250 तक की आबादी वाले सभी अनजुड़े टोलों/बसावटों को चरणबद्ध रूप से बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु 27 गैर आई0 ए0 पी0 जिलों में 37908 कि0मी0 पथों के निर्माण/उन्नयन हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना प्रारंभ किया गया। इसकी अनुमानित राशि 32,230 करोड़ रूपये है। वर्तमान में यह कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों के माध्यम से कार्यान्वित है।

2. परियोजना विवरणः–

दिनांक 20.11.2014 को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में संपन्न 44 वें संविक्षा समिति (Screening Committee)की बैठक में विश्व बैंक से मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत IBRD वित्तीय सहायता प्राप्त कराने हेतु राशि 4300 करोड़ की योजना के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी। समिति द्वारा प्रथम चरण में राशि 2000 करोड़ (335 Million US $) के कार्यान्वयन की अनुशंसा की गयी, जिसके लिए विश्व बैंक से IBRD ऋण के रूप में 70 प्रतिशत राशि अर्थात राशि 1400 करोड़ उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष 30 प्रतिशत राशि यथा राशि 600 करोड़ राज्य सरकार को अपने राज्य बजट से वहन करना होगा। इस बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि कुल 5000 कि0 मी0 पथों के लिए परियोजना परिरूप (Project Design)अभी तैयार किया जाय। प्रथम चरण की प्रगति के आधार पर विश्व बैंक द्वारा अतिरिक्त वित्तीय सहायता

प्रदान करने पर विचार किया जा सकेगा। यह भी सहमति बनी की योजना का आकार जितना भी हो, उसका 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के बजट से भारित किया जायेगा।

प्रस्तावित परियोजना अन्तर्गत दो घटक हैः–

1. असैनिक कार्य–यह सभी 27 नन आई0 ए0 पी0 जिलों में निर्माण/उन्यन कार्य पथों को चयनित कर बारहमासी सड़क सम्पर्कता प्रदान करने हेतु है।
2. तकनीकी सहायता–इसके पाँच मुख्य उपभाग है।
    - परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना
    - स्वतंत्र रूप से जाँच करना
    - परियोजना संस्थागत सहायता
    - उपस्कर
    - कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण

प्रथम चरण के लिए 10 जिलों यथा अररिया, बांका, बक्सर, छपरा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, कटिहार, पटना, पूर्णियाँ एवं वैशाली का चयन किया गया । इन 10 जिलों में कुल 1051 पथों जिसकी अनुमानित लम्बाई लगभग 2500 कि0 मी0 है, का निर्माण किया जायेगा।

विश्व बैंक सम्पोषित मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के कार्यान्वयन में पर्यावरण और सामाजिक मुद्दो के प्रबंधन की दिशा में पर्यावरण प्रबंधन फ्रेमवर्क (Environment Management Framework). समाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (Social Management Framework), Vulnerability Framework एवं Environmental Codes of Practicesतैयार किया गया है।

3. ग्रामीण सम्पर्क के लाभ (Benefits of rural connectivity):-

सड़कों पर किये गये सरकारी व्यय गरीबी (एक करोड़ निवेश पर 163 व्यक्तियों को गरीबी से उपर उठाया गया) गरीबी कम करने एवं उत्पादकता वृद्धि की ओर उठाया गया एक महत्तवपूर्ण एवं प्रभावी कदम है। सड़कों में किये गये निवेश से कृषि उत्पादकता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जिसके कारण खाद्यान के उपभोक्ता मूल्य पर नियंत्रण होने से गरीबो को लाभ हुआ है। गैर कृषि के रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई है जो कि गैर कृषि वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण संभव हुआ है जिसके फलस्वरूप मजदूरी में भी वृद्धि हुई है। गरीबी पर कुल उत्पादकता के प्रभाव के कारण आय में प्रत्यक्ष रूप से 75 प्रतिशत की वृद्धि सड़कों के कारण, 15 प्रतिशत खाद्यानों के मुल्य में कमी तथा 10 प्रतिशत मजदूरी में वृद्धि के फलस्वरूप है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण से दूसरे प्रभाव–कृषकों की आय में दोगुनी वृद्धि मालभाड़े में 60 प्रतिशत से अधिक की कमी, साक्षरता दर में 8 प्रतिशत की वृद्धि, भूमि के मूल्य में 80 प्रतिशत की वृद्धि, आपातकालीन परिस्थिति में चिकित्सा की उपलब्धता विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए मददगार साबित हुआ है।

4. समाजिक प्रबंधन ढाँचा(Social Management Framework):-

समाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (SMF)परियोजना से प्रभावित होनेवाली आबादी खासकर गरीब, महिला एवं कमजोर वर्ग की हितों की रक्षा करते हुए उनकी आजीविका पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, इस संबंध में सरकार को सही मार्गदर्शन देता है।

मुख्य विशेषताएँ (Salient Features):-

- SMF की प्रासंगिकता राज्य/राष्ट्रीय कानूनी नीतियों और भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के साथ विश्व बैंक परिचालन नीतियों 4.10, 4.11 और 4.12 से संबंधित नियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए है।

- SMF कासिद्धांत है कि सम्पत्ति या आर्थिक गतिविधियों या निवास के स्थानांतरण की अनैच्छिक नुकसान कम से कम हो तथा नुकसान होने पर पूरी मुआवजा का अनुपालन सुनिश्चित हो।

समाजिक प्रबंधन ढाँचा केउद्यश्य एवं मूल प्रावधान –

- परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान संपत्ति या अर्थिक गतिविधियों या निवास के स्थानानतरण की अनैच्छिक हानि कम से कम हो तथा हानि का मुआवजा प्रभावित व्यक्तियों को दिया जाये।
- सभी प्रभावित व्यक्तियों से पूर्व परामर्श के लिए पर्याप्त प्रक्रिया सुनिशिचित करना।
- नुकसान और हकों का आकलन करना, शिकायतों और विवादों का निपटारा करना एवं परिणामों की निगरानी करना।
- भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया का प्रावधान करना।
- परियोजना के लिए बस्तियों में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की जनसंख्या से परामर्श के आधार पर व्यापक समुदाय का समर्थन सुनिश्चित करना।

विधानों और लागू नीतियाँ (Legislations and Policies Applicable):-

राष्ट्रीय नीति (National Poicy):-

- उचित प्रतिकार का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः बन्दोबस्ती मेंपारदर्शिता अधिनियम, 2013 **(LARR Act 2013)**

राज्य नितियाँ (State Policies):-

- बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार औरपारदर्शिता अधिकार नियामवली, 2014
- बिहार रैयत भूमि लीज नीति, 2014
- समान पारिश्रमिक अधिनियम,1979
- बाल श्रम (निषेध और नियमन अधिनियम),1986
- भूमि दान(Land Donation)
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act)

विश्व बैंक नीतियाँ (World Bank Policies):-

अनैच्छिक पुनर्वास(Involuntary Resettlement)परिचालन नीति– 4.12 (OP-4.12)

देशी लोग(Indigenous People) परिचालन नीति–4.10 **(OP-4.10)**

सांस्कृतिक संपत्ति(Cultural Properties)परिचालन नीति–4.11 **(OP-4.11)**

प्रभाव एवं पात्रता ढ़ाचा (Impacts and Entitlement Frame Work):-

परियोजना के अन्तर्गत अधिकांश सड़कों को एकल लेन के रूप में वर्त्तमान उपलब्ध संरेखन जो कच्ची या ईट सोलिंग है को तकनीकी विशिष्टियों का उपयोग यथा पर्याप्त ज्यामिति, फुटपाथ, जलनिकासी, पुलों और सड़क सुरक्षा उपायों एवं आबादी वाले क्षेत्र में विशेष उपचार प्रदान कर उन्नयन किया जायेगा। ग्रामीण सड़कों में आमतौर पर तीन मीटर की कैरेज वेज और पाँच–सात मी0 की कुल चौड़ाई ली जायेगी जो स्थल की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। सभी पथों एवं पुलों के डिजाईन हेतु भारतीय सड़क कांग्रेस में दिये गये ग्रामीण सड़को के निर्माण हेतु निहित मानकों एवं दिशा निर्देश के अनुरूप जो पूर्व से पी0एम0जी0एस0वाई एवं एम0एम0जी0एस0वाई0 में सम्मलित है, के आधार पर किया जायेगा। सड़क का डिजाईन उपलब्ध राईट ऑफ वे का अधिकतम उपयोग कर के कस्टमाईज तरीके से किया जायेगा। जिससे परियोजना का मूल उद्धेश्य पूरा किया जा सके और जिसके अन्तर्गत बुनियादी सम्पर्कता प्रदान करना, घरों एवं दूसरे संरचनाओं को ध्यान पूर्वक तोड़फोड़ करना, पुराने पेड़ों का कटाव करना एवं अतिरिक्त भूमि की कम आवश्यकता शामिल है। संकीर्ण मार्गों में यातायात निर्वाह सुचारू रूप से करने हेतु सुटेबल पासिंग प्लेश भी सूनिश्चित किया जायेगा। इन प्रावधानों के माध्यम से परियोजना के अन्तर्गत निर्माण होने वाली वैसी सड़कों की आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा, जिनके उपर यातायात कम है एवं जहाँ छोटे एवं दोपहिया वाहनों की संख्या कम है।

इस प्रकार परियोजना के अन्तर्गत समाजिक प्रभाव कम होगा क्योंकि भूमि चौड़ाई अभिवृद्धि कम होगी और सरंचनाओं एवं आजिविका पर कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परियोजना के अन्तर्गत यदि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी वो या तो लीज या भूमि अधिग्रहण के माध्यम से ली जायेगी।

सामाजिक प्रभाव विवरण (Social Impact Statement):– प्रथम बैच में 1052 हजार कि0 मी0 पथ के लम्बाई हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर निविदा आमंत्रित किया जा चुका है।

भूमि अधिग्रहण एवं सम्पत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव की आवश्यकता के आकलन करने के लिए आर0 पी0 एफ0 में उपलब्ध जाँच पत्र एवं प्रपत्र को डी0 पी0 आर0 में उपयोग किया गया है। समाजिक प्रभाव कथन को निविदा के लिए सभी बैच के डी0पी0आर0 में तैयार किया जायेगा। असैनिक कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि अधिग्रहण एवं अधिकार संबंधित सभी विधि पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

इस परियोजना के उद्धेश्यों के लिए निम्न परिभाषा का उपयोग होगा:–

परियोजना प्रभावित क्षेत्र:– पथ निर्माण हेतु गलियारा/क्षेत्रफल की आवश्यकता।

परियोजना प्रभावित व्यक्ति:– परियोजना प्रभावित क्षेत्र के कारण सम्पति या आय का स्त्रोत या आजीविका की हानि होने वाले व्यक्ति ।

निर्धारित तिथि:– परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा भूमि से संबंधित विधिवत दावा बिहार भूमि अधिग्रहण, लीज/बी0एल0ए0आर0आर0 धारा के तहत जारी की गई अधिसूचना की तिथि के अन्दर करना होगा।

योजना के ट्रान्जेक्ट वाक की तिथि, उन व्यक्तियों के लिए जिनके द्वारा विधिवत क्लेम नहीं किया गया है परन्तु उनका कोई संरचना/अन्य सम्पत्ति परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि पर उपलब्ध हो, अंतिम तिथि मानी जायेगी।

<u>प्रभाव एवंहक(Impacts & Entitlements):-</u>

प्रभाव श्रेणी (Impact Category)	एंटाइटेलमेंट (Entitlements) (हक)
वैसे लोग जिनका प्रस्तावित भूमि पर कानूनी हक/औपचारिक अधिकार है।	• सम्पर्कता प्रदान करने के क्रम में अपर्याप्त भूमि रहने की स्थिति में इस परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिये लीज अथवा भूमि अधिग्रहण अथवा भूमिदान की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। प्रभावित रैयती लोगों को बिहार रैयती भूमि लीज निति 2014 / बिहार भूमि अर्जन,पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार नियमावली,2014/उचित प्रतिकार का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण,पुनर्वास एवं पुनः बन्दोबस्ती में पारदर्शिता अधिनियम,2013 के अनुसार मुआवजा दिया जायेगा। • आजीविका के नुकसान के मामले में प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता बी0 एल0 ए0 आर0 आर0 नियमावली 2014 / एल0 ए0 आर0 आर0 अधिनियम 2013 में निहित प्रावधान के तहत दिया जायेगा।

आम संपत्ति	• परियोजना कार्यान्वयन इकाई ;चन्द्ध से तकनीकी जानकारी लेकर पर आम संपत्ति का स्थानांतरण /निर्माण/संवेदक के द्वारा किया जायेगा जिसके लिए परियोजना निर्माण कार्य में राशि का उपबंध किया जायेगा।
वैसे लोगा जिना प्रस्तावित भूमि पर औपचारिक अधिकार / कानूनी हक नहीं है।	• इसके लिए वही व्यक्ति योग्य होंगे जो निर्धारित तिथि से पूर्व जमीन पर रह रहे हो। • जमीन के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जायगा। • परिसंपत्तियों का भौतिक स्थानांतरण नहीं किया जायगा। • परिसंपत्तियों/संरचना के आंशिक क्षति/ नुकसान की परिस्थिति में प्रभावित व्यक्तियों/परिवार के संरचना का पर्नस्थापन किया जायेगा जो निर्माण कार्य के अन्तर्गत रहेगा।

निर्माण के दौरान प्रभाव का आकलन :-

कार्य करने के दौरान यदि संवेदक को किसी व्यक्ति की परिसम्पत्ति/संरचना का नुकसान होने की संभावना या बहुत ही कम जमीन को लेने की आवश्यकता महसूस किया जायेगा तो प्रभावित व्यक्तियों, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों एवं पी0 आई0 यू0 के प्रतिनिधि द्वारा इसका आकलन करते हुए पुर्नस्थापन किया जायेगा। इसके लिए संवेदक को संबंधित पी0 आई0 यू0 को पूर्व सूचना देनी होगी।

निर्माण अवधि के दौरान तात्कालिक प्रभाव :-

कार्य करने के दौरान संवेदक द्वारा भारी यंत्रों का उपयोग किये जाने के कारण शेरगुल के स्तर में वृद्धि, धूल–कनों में वृद्धि, सड़क के बगल की भूमि का आंशिक नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इससे कम/दूर करने हेतु संवेदक के द्वारा धूल–कन कम करने के उपाय के साथ–साथ ऐसा कम करने का ऐसे समयावधि का चुनाव करना होगा जिससे यातायात की सुगमता बनी रहे। जैसे सुबह या शाम का समय तथा वैसे जगहों पर पथ संकेत चिन्ह् लगाया जायेगा जहाँ सुरक्षा प्रदान किये जाने की अत्याधिक आवश्यकता हो। कार्य करने के दौरान यंत्र–संयंत्रों के उपयोग के कारण यदि सड़क के किनारे की कोई परिसम्पत्ति का नूकसान होता है तो इसके पुर्नस्थापन का व्यय/क्षतिपूति संवेदक के द्वारा किया जायेगा। यदि किसी नीजि भूमि का उपयोग संवेदक द्वारा अल्प अवधि के लिए किया जाना हो तो वैसी परिस्थिति में संवेदक को जमीन मालीक से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा। संवेदक अपना शिविर स्थापित करते हेतु जगह स्थानीय व्यक्तियों/समूहों/पंचायत प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करने के उपरांत ही चयनित करेंगे ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। संवेदक द्वारा इन सभी बातों की जानकारी स्थानीय व्यक्तियों/समूहों के लोगों को पर्चा बाटकर करना होगा।

सामुदायिक योजना और भागीदारी (Community Planning and Prticipation):-

परियोजना के प्रत्येक स्तर पर निर्णय लेने में समुदाय की प्रभावी भागीदारी के लिए तंत्र (Mechanism)विकसित किया जायेगा। इस फ्रेमवर्क में परियोजना के क्रियान्वयन के बाद के स्तर पर समुदाय की भागीदारी ली जायेगी। इस फ्रेमवर्क में स्थानीय लोग,प्रभावित व्यक्ति/प्रभावित परिवार एवं पी0 आई0 यू0 के भागीदारी की परिकल्पना हैं। उप परियोजना स्तर पर स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पी0 आई0 यू0 जिम्मेवार होगा। समुदाय की भागीदारी केवल ग्रामीणों के साथ बातचीत करने के लिए ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके द्वारा परियोजना एवं कार्यों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करना भी है।

भेद्यताढाँचा (Vulnerability Framework):-

भारत में भेद्यता, गरीबी के अलावा सामाजिक अलगाव और हाशिए पर लिंग भेद से उत्पन्न या अनुसूचित जाति या जनजातियों के रूप में कुछ समूहों से संबंधित होती है। ये दो तत्व परियोजना के सामाजिक परिणामों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है, परन्तु ग्रामीण पहुँच सूचकांक की गणना अधूरी रहेगी यदि सांस्कृतिक संदर्भ पर विचार नहीं किया जाये यद्यपि ग्रामीण भारत में जन्म, पहचान और लिंग समाज के बीच सामाजिक समावेश के प्रमुख निर्धारक हैं, परियोजना का लाभ सभी को समान रूप से मिले, इस पर बल देने हेतु यह फ्रेमवर्क तैयार किया गया है।

फ्रेमवर्क का उद्येश्यः—इस फ्रेमवर्क का उद्येश्य है कि मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के माध्यम से उत्पन्न विकास मार्ग को पूर्ण रूपेण भेद्य वर्ग की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाना तथा परियोजना से प्रभावित आबादी (पी0 ए0 पी0) के बीच वितरणात्मक समानता को बढ़ावा देना है। यह फ्रेमवर्क जानकारी साझा करने एवं परामर्श एवं सहयोग जैसे भागीदारी तकनीकी के माध्यम से उनकी ऐतिहासिक पहचान की संरक्षण के लिए योग्यताओं का विकास तथा क्षमताओं को मजबूत करने में सहयोग प्रदान करता है। यद्यपि गरीबी रेखा से नीचे सभी आबादी प्रभावित है, परन्तु परियोजना के उद्येश्य के लिए, निम्न चार श्रेणियों को भेद्य माना गया हैः—

- ऐसे परिवार जिसका प्रधान महिला हो
- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जन जाति
- दिव्यांग

यह फ्रेमवर्क इन वर्गों को निरूपण, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में शामिल करने पर बल देता है ताकि प्राथमिक हितधारक को लाभार्थी से अधिकार संपन्न बनाया जाये। विशेष रूप से, इस फ्रेमवर्क दिशा निर्देश में कहा गया है कि परियोजना के दौरान इन समूहों पर किसी प्रकार का नाकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े तथा उन्हें अपनी परंपराओं के साथ संगत लाभ प्राप्त हो एवं योजना बनाने, कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन में इनकी भागीदारी हो। इस परियोजना में भेदय् लोगों से भूमि/संरचना/अन्य संपत्ति नहीं लिया जायेगा परन्तु जरूरत पड़ने पर उनसे जमीन लीज अथवा भूमि अधिग्रहण के माध्यम से लिया जायेगा।

पर्यावरण प्रबंधन ढांचा(Environmental Manegement Framework)

पर्यावरण प्रबंधन ढाँचा;म्डथ्द्ध परियोजना के लिए अनुचित प्रभावों से निपटने में आवश्यक लचीलापन प्रदान करता है तथा परियोजनाके दोनों परिस्थितियों जहाँ इन्जीनियरिंग डिजाइन की जानकारी है तथा ऐसे पथों एवं पथों के खण्ड जहाँ इन्जीनियरिंग डिजाइन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, में सकारात्मक लाभ प्रदान करने में मदद प्रदान करेगा।

यह रूपरेखा एम0 एम0 जी0 एस0 वाई0 के विभिन्न पुनर्निमाण गतिविधियों के कार्यान्वयन में पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने एवं बचाने के मुख्य बिन्दुओं का वर्णन करता है।

ई0 एम0 एफ0 के उद्येश्य एवं मुख्य बिन्दु(Purpose and Objectives of EMF)

- इस परियोजना के अंतर्गत वित्त सम्पोषित उपपरियोजना के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण नियोजन, समीक्षा, अनुमोदन एवं कार्यान्वयन हेतु स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करना।
- योजना बनाने, निरूपण एवं पर्यावरण प्रबंधन के उपायों को लागू करने हेतु व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करना।

- उपपरियोजनों के पर्यावरण एवं संबंधित सामाजिक सरोकारों की निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु आवश्यक प्रतिवेदन प्रक्रियाओं तथा उचित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की रूप रेखा तैयार करना तथा उचित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करना।
- ई0 एम0 एफ0 के प्रावधानों को सफलतापूर्वक लागू करने हेतु प्रशिक्षण, क्षमता संवर्धन एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने (यदि आवश्यक हो) हेतु संस्थागत व्यवस्था का निर्धारण करना।

सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रमुख मुद्दा(Key Issues of Major concern in road Infrastructure)

- वायू प्रदूषण (Air Pollution)
- सांस्कृतिक विरासत (Cultural Heritage)
- भूमि उपयोग प्रबंधन (Land use Management)
- संसाधन की खपत (ResourceConsumption)
- मिट्टी क्षरण एवं तलचर प्रबंधन (Soil Pecorino& Sediment Management)
- ड्रेनेज एवं वर्षा जल प्रबंधन (Drainage and storm Water Management)
- वनस्पति नियंत्रण एवं प्रबंधन (Vegetation control & Management)
- वाहन एवं यातायात शोर (Vehicle & Traffic Noise)
- जल प्रदूषण(Water Pollution)

एम0 एम0 जी0 एस0 वाई0 में लागू नीतियाँ–

- ई0 आई0 ए0 अधिसूचना 2006 एवं तदोपरांत संशोधन के अनुसार पर्यावरण मंजूरी
- वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत वन मंजूरी
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत वन्यजीव मंजूरी
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र
- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं संशोधित 1988

एम0 एम0 जी0 एस0 वाई0 में संभावित पर्यावरणीय प्रभाव (Envirnmental Impact)-

- सीमित संख्या में सड़क के किनारे पेड़ो की कटाई
- कार्यो के निर्माण के दौरान गाद प्रवाह (Silt Flow) सहित जल संसाधन पर प्रतिकूल प्रभाव
- Borrow Area से मिट्टी के अनुचित ढुलाई के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव।
- बसावट क्षेत्र में बाढ़/वर्षा जल संचय के कारण हानि तथा स्थानीय/क्षेत्रीय जल निकासी में बाधा।

6. **पर्यावरण प्रकिया संहिता(Environmental Codes of Practices)**

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना ;डडळैल्द्ध की योजना तैयार करने, निरूपण, निर्माण और रखरखाव के विभिन्न चरणों में पर्यावरणीय प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने तथा प्रर्यावरणीय प्रतिकूल प्रभाव को कम करने हेतु म्ब्च्ब् विकसित किया गया है। यह संहिता कार्यान्वयन एजेंसी, ढेकेदारों एवं अन्य शामिल एजेन्सियों द्वारा अपनाये जाने वाले तरीकों एवं प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है।

ECoPs के बिन्दु(Scope of ECoPs)-

- योजनाकारों, क्षेत्रीय अभियंताओ एवं संवेदकों के लिए एक फिल्ड गाईड मैन्यूल तैयार करना।
- ऐसी परियोजना गतिविधियाँ जिसके कारण संभावित पर्यावरणीय प्रभाव पड़ सकता है, का पहचान करना तथा उसके लिए उपाय प्रदान करना।
- ऐसी सड़क निरूपण एवं निर्माण प्रथाओं को लागू करना जिसमे कम खर्च के साथ पर्यावरणीय प्रभाव भी कम हो।
- योजना बनाने, कार्यान्वयन एवं उपयोग के दौरान पर्यावरण संबंधी प्रभावों का निराकरण हेतु अनुशंसित प्रथाओं का वर्णन।
- परियोजना के विभिन्न चरणों में ग्रामीण समुदायों की भागीदारी की भूमिका को परिभाषित करना।
- एम0 एम0 जी0 एस0 वाई0 के ग्रामीण सम्पर्कता उद्येश्य को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक परिवेश के मिश्रण से पथ निर्माण का योजना तैयार करना।

लागू पर्यावरण प्रकिया संहिता(Applicable Environmental Code of Practices)

ECoP	Title	Key Issues Addressed
ECop 1.0	प्रोजेक्ट प्लानिंग एवं डिजाईन	• निर्माण और संचालन के चरणो में प्रभावो से बचने के लिए परियोजना तैयार करने में पर्यावरण संबंधी समस्याओ का निगमन । • सुरक्षित वन / अभयारण्यों /झीलो आदि संवेदनशील क्षेत्रो का सड़क से बचाव । • कानूनी आवयश्कताओ का अनुपालन • परियोजना निरूपण मे नए उपायो को शामिल करना
ECop 1A	बाढ प्रभावित क्षेत्रो मे सड़क	• बाढ प्रभावित क्षेत्रो मे परियोजना तैयार करने एवं निरूपण मे आवश्यक प्रावधान
ECop 2.0	कार्यस्थल की तैयारी	• जनोपयोगी सेवा ,आम संपत्ति संसाधनों और सांस्कृतिक संपत्ति का पुनर्वास • सड़क के किनारे पेड़ पौधे पर पडने वाले प्रभाव से बचाव
ECop 3.0	निर्माण शिविर	• संवेदनशील क्षेत्रो का निर्माण शिविरो के स्थान से बचाव • कार्यकताओं और निर्माण उपकरणों के लिए बुनियादी सुविधा की व्यवस्था
ECop 4.0	निर्माण के लिए वैकल्पिक सामग्री	• पर्यावरण एवं मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार फ्लाई ऐश का उपयोग • कम से कम मिट्टी की आवश्यकता
ECop 5.0	बोरो एरिया (Borrow Area)	• कृषि भूमि से बचाव • बोरो एरिया का पुनर्विकास ।
ECop 6.0	मिट्टी की उपरी परत (Topsoil) उबार , संग्रहण एवं स्थानांतरण	• स्थायी / अस्थायी रूप से निर्माण के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले क्षेत्रो से मिट्टी की उपरी परत(Topsoil)का स्थानांतरण • मिट्टी की उपरी परत का भंडारण एवं कटाव से संरक्षण • मिट्टी की ऊपरी परत का कृषि योग्य भूमि में पुनः उपयोग
ECop 7.0	खदान प्रबंधन	• नई खदानों के संदर्भ में खदानो का पुनर्विकास
ECop 8.0	निर्माण के लिए जल	• समुदाय की सहमति से पानी दुर्लभ क्षेत्रों में पानी की निकासी • पानी की उपलब्धता के अनुसार निर्माण गतिविधियोंका निर्धारण

ECop 9.0	ढाल स्थिरता और कटाव नियंत्रण	• कटाव नियंत्रण के लिए जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था ।
ECop 10.0	कचरा प्रबंधन	• पहाडी सडको मे काटे गए सामग्रियो का पुनः उपयोग • कचरे का सुरक्षित निस्तारण
ECop 11.0	जल निकाय	• संरेखण के कारण काटने सेबचाव • तटबंधों पर संरेखण के मामले में तटबंध ढलानों का संरक्षण • पानी निकाय का पुनर्वास
ECop 12.0	जलनिकास	• परियोजना तैयार करने के दौरान हाइड्रोलॉजिकल जांच करना • आवश्यकताओं के अनुसार अनुदैर्ध्य और पार जल निकासी का प्रावधान • जल निकासी मुहाना के उचित स्थान
ECop 13.0	निर्माण संयंत्र और उपकरण प्रबंधन	• निर्माण संयंत्रों एवं उपकरणो का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उत्सर्जन मानकों का अनुपालन • प्रदूषण से बचने के लिएसंयंत्रो एवं उपकरणेा का रख रखाव
ECop 14.0	आमजनो और कर्मियो के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा	• श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान • श्रमिकों को बुनियादी जरूरतों का प्रावधान • निर्माण स्थलो के यात्रा के समय आमजनो के लिए सुरक्षा का उपाय • सड़क के ऑपरेशन के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा
ECop 15.0	सांस्कृतिक संपत्ति	• परियोजना के कारण प्रभावों से बचाव • निर्माण के कारण पडने वालेप्रभावों से परिसर का संरक्षण • अपरिहार्यप्रभावो के मामले मे पुनर्स्थापन
ECop 16.0	वृक्षारोपण	• पेड़ों परपडने वाले प्रभाव से बचाव • सड़क के किनारे वृक्षारोपन
ECop 17.0	प्रेरित विकास के प्रबंधन	• जंक्शनों और बस स्टॉप पर रिबन विकास सीमित करना
ECop 18.0	पर्यावरण लेखा	• परियोजना तैयार करने, निर्माण एवं कार्यान्वयण के दैरान पर्यावरण एवं समाजिक उपायो का अनुश्रवण
ECop 19.0	प्राकृतिक आवास	• प्राकृतिक आवास की पहचान • प्राकृतिक आवाससे गुजरने वाले पथो के प्रबंधन के उपाय • प्रबंधन योजना की संरचना।
ECop 20.0	परामर्श फ्रेमवर्क	• विचार-विमर्श के लिए पहलु • चरणबद्व विचार-विमर्श • परामर्श अनुसूची और उत्तरदायित्व
ECop 21.0	अनुरक्षण	• विभन्न जलवायु परिस्थितियो में अनुरक्षण के उपाय

9. संस्थागत व्यवस्थाए

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण के माध्यम से कार्यान्वित एक राज्य योजना है । इस योजना के कार्यान्वयन मे मुख्य रूप से दो संस्था जुडे है : (1) राज्य स्तर पर , बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (बी0 आर0 आर0 डी0 ए0) (2) जिला स्तर पर ,परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी0 आई0 यू0)

उत्तरदायित्व **(Responsibility)**	सहायता द्वारा **(Supported by)**	कार्य **(Tasks)**
कार्य0 अभि0/ स0 अ0 / क0 अ0 (पी0 आई0 यू0) पर्या0 एवं सा0 नोंडल पदा0 (पी0 आई0 यू0) डी0 पी0 आर0 परामर्शी	• स्थानीय समुदाय • पर्या0 एवं सा0 नोडल पदा0 (बी0 आर0 आर0 डी0 ए0) /अधी0 अभि0(संबंधित कार्य अंचल) • परियोजना प्रबंधक (एम0 एम0 जी0 एस0 वाई0 , बी0 आर0 आर0 डी0 ए0) • प्रमुख गुणवत्ता अनुश्रवक (पी0 क्यू0 एम0)	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0 पी0 आर0) तैयार करना
कार्य0 अभि0/ स0 अ0 / क0 अ0 (पी0 आई0 यू0)	• स्थानीय समुदाय	फैलाव / सामुदायिक जागरूकता
कार्य0 अभि0/ स0 अ0 / क0 अ0 (पी0 आई0 यू0) पर्या0 एवं सा0 नोंडल पदा0 (पी0 आई0 यू0) डी0 पी0 आर0 परामर्शी	• स्थानीय समुदाय • जिला भूमि एवं राजस्व विभाग • पर्या0 एवं सा0 नोंडल पदा0 (बी0 आर0 आर0 डी0 ए0)	ट्रान्जेक्ट वाक /संरेखण को अंतिम रूप देना
कार्य0 अभि0/ स0 अ0 / क0 अ0 (पी0 आई0 यू0) पर्या0 एवं सा0 नोंडल पदा0 (पी0 आई0 यू0) डी0 पी0 आर0 परामर्शी	• स्थानीय समुदाय • जिला भूमि एवं राजस्व विभाग	प्रभावित जनो का जनगणना /भेद्य जनो का पहचान
स्थानीय समुदाय कार्य0 अभि0/ स0 अ0 / क0 अ0 (पी0 आई0 यू0) पर्या0 एवं सा0 नोंडल पदा0 (पी0 आई0 यू0)	• जिला भूमि एवंराजस्व विभाग • स्थानीय समुदाय	कमी के उपाय की तैयारी

पर्या0 एवं सा0 नोडल पदा0 (बी0 आर0 आर0 डी0 ए0), पर्या0 एवं सा0 नोंडल पदा0 (पी0 आई0 यू0), कार्य0 अभि0 (पी0 आई0 यू0)	• परियोजना प्रबंधक (एम0 एम0 जी0 एस0 वाई0, बी0 आर0 आर0 डी0 ए0) • अधी0 अभि0(संबंधित कार्य अंचल)	राज्य /जिला स्तर पर आवश्यक पर्यावरण निर्वाधन
स0 अ0 / क0 अ0, पर्या0 एवं सा0 नोंडल पदा0 (पी0 आई0 यू0) भूमि एवं राजस्व विभाग	• स्थानीय समुदाय • परियोजना प्रबंधक (एम0 एम0 जी0 एस0 वाई0, बी0 आर0 आर0 डी0 ए0) • पर्या0 एवं सा0 नोंडल पदा0 (बी0 आर0 आर0 डी0 ए0)	पर्यावरण एवं समाजिक कमी के उपाय पर अनुवर्ती कार्रवाई , भूमि स्थानांतरण एवं भूमि एवं संरचना के लिए मुआवजा हेतु कानूनी प्रक्रिया तथा यदि शिकायत हो तो उसका पंजीकरण ।
पर्या0 एवं सा0 नोंडल पदा0 (पी0 आई0 यू0), कार्य0 अभि0/ स0 अ0 / क0 अ0 (पी0 आई0 यू0)	• स्थानीय समुदाय • अभि0/ स0 अ0 / क0 अ0 (पी0 आई0 यू0) • भूमि एवंराजस्व विभाग • पर्या0 एवं सा0 नोंडल पदा0 (बी0 आर0 आर0 डी0 ए0) • लोक शिकायत निवारण पदा0(ग्रा0 का0 वि0) • परियोजना प्रबंधन परामर्शी (पी0 एम0 सी0) • स्वतंत्र सुरक्षा परामर्शी	सुरक्षा के मुद्दो पर परिवाद एवं शिकायत पर अनुवर्ती कार्रवाई
परियोजना प्रबंधक (एम0 एम0 जी0 एस0 वाई0 , बी0 आर0 आर0 डी0 ए0), कार्य0 अभि0(पी0 आई0 यू0), पर्या0 एवं सा0 नोडल पदा0 (बी0 आर0 आर0 डी0 ए0), पर्या0 एवं सा0 नोंडल पदा0 (पी0 आई0 यू0),	• विश्व बैंक • परियोजना प्रबंधन परामर्शी (पी0 एम0 सी0)	सुरक्षा मुद्दो पर राज्य एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षण
परियोजना प्रबंधक (एम0 एम0 जी0 एस0 वाई0 , बी0 आर0 आर0 डी0 ए0), पर्या0 एवं सा0 नोंडल पदा0(बी0 आर0 आर0 डी0 ए0 एवं पी0 आई0 यू0), कार्य0 अभि0/ स0 अ0 / क0 अ0 (पी0 आई0 यू0)	• स्थानीय समुदाय • परियोजना प्रबंधन परामर्शी (पी0 एम0 सी0) • प्रमुख गुणवत्ता अनुश्रवक (पी0 क्यू0 एम0) • स्वतंत्र सुरक्षा परामर्शी	निर्माण के समय एवं निर्माण के बाद सुरक्षा संबंधी मुद्दो का अनुपालन एवं अनुश्रवण
कार्य0 अभि0 (पी0 आई0 यू0), पर्या0 एवं सा0 नोंडल पदा0(पी0 आई0 यू0)	• स्थानीय समुदाय • भूमि एवंराजस्व विभाग • परियोजना प्रबंधन परामर्शी (पी0 एम0 सी0) • स्वतंत्र सुरक्षा परामर्शी	परियोजना के प्रगति , विशेषतः सुरक्षा मुद्दो के अनुपालन पर प्रतिक्रिया

अनुश्रवण व्यवस्था

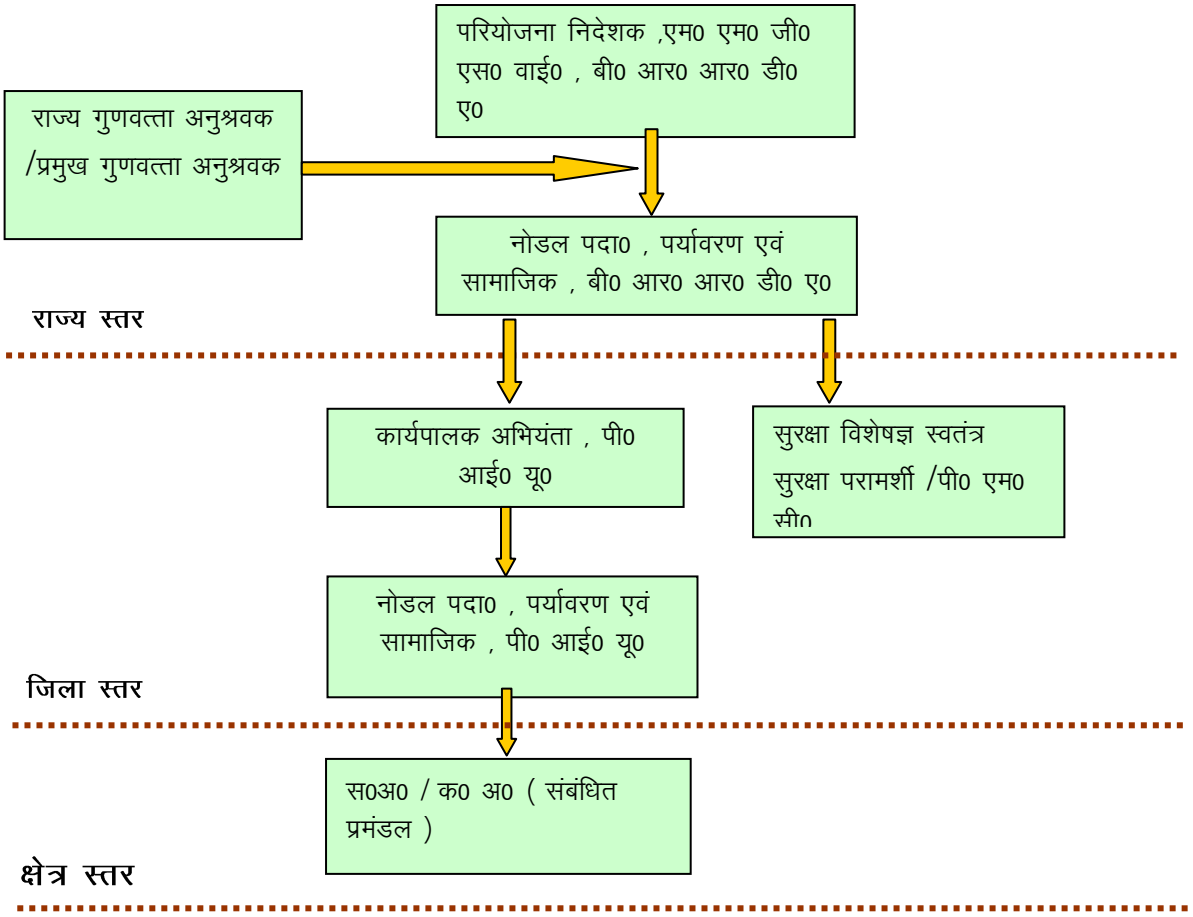

10.शिकायत निवारण तंत्र

परियोजना मे सभी शिकायतो का निराकरण बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम , 2015 के तहत किया जाएगा ।

प्रक्रिया

1. परिवाद प्राप्त होने पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियत समय सीमा के अंदर परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और परिवादी को सुनने के पश्चात् या तो उसे स्वीकार करते हुए या किसी अन्य विधि,निति,सेवा,कार्यक्रम या योजना के अधीन उपलब्ध कोई वैक्लिपक फायदा या अनुतोष सुझाते हुए या उसे खारिज करते हुए, जिसके कारणो को लेखबद्ध किया जायेगा, परिवाद को विनिश्चित करेगा और नियत समय सीमा के भीतर परिवाद पर अपने विनिश्चय से परिवादी को संसूचित करेगा ।

2. कोई भी व्यक्ति , जिसे नियत समय सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो या जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के विनिश्चय से व्यथित हो, नियत समय सीमा की समाप्ति से या लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर, प्रथम अपीलीय प्रधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकेगा ।

   परन्तु प्रथम अपीलीय प्राधिकार तीस दिवसो किंतु पैंतालीस दिवसो से अधिक नहीं की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से समय पर अपील दायर करने से वंचित रहा है ।

3. यदि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, धारा 5 के उपबंधो का पालन नही करे तो ऐसे अनुपालन से व्यथित कोई भी व्यक्ति सीधे प्रथम अपीलीय प्राधिकार को परिवाद प्रस्तुत कर सकेगा जिसे प्रथम अपील की रिति से निपटाया जायेगा ।

4. प्रथम अपीलीय प्राधिकार, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर परिवादी को सुनवाई एवं निराकरण का अवसर प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील खारिज कर सकेगा ।

5. प्रथम अपीलीय प्राधिकार के विनिश्चय के विरूद्ध द्वितीय अपील प्राधिकार, प्रथम अपीलीय प्राधिकार के विनिश्चय की तारीख से तीस दिवसों के भीतर द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर की जा सकेगी

   परन्तु द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ,तीस दिवसो ,किन्तु पैंतालीस दिवसों से अनधिक की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उनका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से वंचित रहा है ।

6. कोई व्यथित व्यक्ति सीधे द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकेगा, यदि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी उप–धारा (3) के अधीन प्रथम अपीलीय प्राधिकार के आदेश का पालन नहीं करता है , या प्रथम अपीलीय प्राधिकार नियत समय सीमा के भीतर अपील का निपटारा नही करता है और उसे द्वितीय अपील की रिति से निपटाया जायेगा ।
7. द्वितीय अपीलीय प्राधिकार लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकार को यथास्थिति परिवादी की सुनवाई एवं निवारण का अवसर प्रदान करने या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर जो किसी मामले में तीस दिवसो से अधिक नहीं होगा, अपील का निपटारा करने का आदेश दे सकेगा या अपील खारिज कर सकेगा ।

8. द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के आदेश के साथ–साथ, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या अन्य कोई लोक प्राधिकार या प्रथम अपीलीय प्राधिकार पर धारा–8 के उपबंधो के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

11. सूचना का अधिकार (आर0 टी0 आई0) अधिनियम ,2005

यह नियम सरकारी अधिकारियो के नियंत्रण के तहत सार्वजनिक जानकारी से संबंधित हैं । इस अधिनियम में किसी भी सरकारी प्राधिकरण के नियंत्रण के तहत सार्वजनिक जानकारी के उपयोग के लिए निम्न बिन्दुओ को शामिल किया गया हैंः–

I. कार्य, दस्तावेजो, अभिलेखो का निरीक्षण
II. टिप्पणी,अर्क या दस्तावेजो या अभिलेखो की प्रमाणित प्रतियाँ लेना
III. सामाग्री की प्रमाणित नमुने लेना
IV. डिस्क,फ्लॉपी,टेप,वीडियो कैसेट के रूप में या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंटआउट द्वारा जहां इस तरह की जानकारी एक कंप्यूटर में या किसी अन्य डिवाइस में संग्रहित हो, के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना ।

प्रयोज्यताः

यह लोगो को इस परियोजना के बारे मे जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करता है। यह परियोजना हित धारको को अपेक्षित परियोजना की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए है। एम0 एम0 जी0 एस0 वाई0 प्रक्रियाओ, हकों, परियोजना लागत, ठेकेदार आदि के लिए चयन मानदंड की जानकारी का प्रसार करता है ।